भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4565

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

आईडीपी को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना

4565. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वितरण की प्रणाली सहित, जिला और शिविर वार आवंटित और वितरित खाद्यान्न की मात्रा और प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्थापित आबादी की देखभाल के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) या किसी अन्य योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को राहत शिविरों में अनियमितताओं या खाद्य आपूर्ति की कमी की कोई शिकायत मिली है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 30.05.2023 को जून 2023 से अगस्त 2023 तक की अवधि के लिए 30,000 टन चावल और दिनांक 13.09.2024 को तीन माह के लिए 1,085.36 टन चावल गैर-एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को आबंटित किया, बशर्ते कि भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

..../2-

इसके अलावा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी प्रत्येक राज्य में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। एनएफएसए की धारा 24(3) के अनुसार, निर्दिष्ट डिपो से खाद्यान्न प्राप्त करना और लाभार्थियों तक वितरण सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से राहत शिविरों में 24,174.90 टन चावल वितरित किया जा चुका है।

(घ): सरकार एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जब भी खाद्यान्नों की अनियमितताओं या कमी की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो सरकार द्वारा मौजूदा मानदंडों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****